

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शनिवार, 1 फरवरी, 2020/12 माघ, 1941 (शक)

संख्या 59

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:—

- (1) वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिवेदन—पन्द्रहवां वित्त आयोग।
- (2) उपर्युक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. केन्द्रीय बजट—2020-2021

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-2021 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण* प्रस्तुत किया।

*उन्होंने अपने लिखित भाषण का कुछ अंश भी सभा पटल पर रखा।

अपराहन 1.41 बजे

3. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(एक) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और

(दो) वृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण।

अपराहन 1.42 बजे

4. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

वित्त विधेयक, 2020

अपराहन 1.44 बजे

(लोक सभा सोमवार, 3 फरवरी, 2020 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव